न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल,
आर.ए.एस.

संख्या :– 39 / 2020

धर्मपाल आयु 55 वर्ष पुत्र श्री भागीरथमल पेशा खेती जाति गुर्जर निवासी देवता तहसील खेतड़ी, जिला झुंझुनू।

–अपीलांट

–बनाम–

राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार खेतड़ी, जिला झुंझुनू

– रेसपोंडेंट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 06.08.2020 उनवानी सरकार बनाम धर्मपाल
कार्यवाही अं0 धारा 91 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट मु0 नं0 14 / 20
बअदालत तहसीलदार खेतड़ी।

उपस्थितिः–

1. श्री राजेन्द्र सिंह निर्वाण, एडवोकेट ––– ––––– अपीलांट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार,,राजकीय अभिभाषक ––––––– रेस्पोंडेंट की ओर से ।

–निर्णय– दिनांक 31.08.2020

उक्त उनवानी अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 06.08.2020 उनवानी सरकार बनाम धर्मपाल अं0धारा 91 राज0 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट बअदालत तहसीलदार खेतड़ी के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं अंकित किये गये हैं कि – हल्का पटवारी जसरापुर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आशय की रिपोर्ट पेश की कि ग्राम देवता स्थित राजकीय भूमि खसरा नंबर 834 रकबा 1.29 हैक्टर किस्म बा–13 के रकबा 1.29 हैक्टर सम्पूर्ण पर गैर सायल धर्मपाल ने तरबंदी कर भूमि को जोत कर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत अपीलांट को अतिक्रमी मानते हुये बेदखली का आदेश पारित किया है। जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 06.08.2020 विरूद्ध कानून न्याय एवं पत्रावली है। भूमि खसरा नंबर 834 पर अपीलांट के दादा के जीवनकाल से सम्वत 1999 से कब्जा चला आ रहा है। उक्त जमीन बाबत अपीलांट के दादा जैसा वल्द खेता कौम

48
अति. जिला कलेक्टर
झुन्झुनू

गुर्जर निवासी देवता के नाम से तत्कालीन ठिकाना बिसाऊ द्वारा इस भूमि बाबत अपीलांट के दादा से दिनांक 13.10.1942 को सम्वत 1999 से 2008 का एकमुश्त लगान लेकर ठिकाना जयपुर स्टेट राजसवाई महकमा बंदोबस्त मं जमा करवाकर अपीलांट के दादा को खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया। तब से लेकर आज अपीलांट व उसके दादा पिता द्वारा निरन्तर लगान देकर मौके पर काबिज काश्त चला आ रहा है। अपीलांट व उसके पूर्वजों का उक्त जमीन पर काफी लंबे समय से कब्जा चला आ रहा है। उक्त जमीन किसी न्यायालय के आदेश द्वारा चारागाह दर्ज नहीं हुई है तथा उक्त जमीन पूर्व में भी चारागाह दर्ज नहीं थी। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों तथा राजस्व रिकार्ड का अवलोकन न कर आलौच्य निर्णय पारित किया है, जो निरस्त होने योग्य है। नजरी नक्शा में दर्ज अनुसार खसरा नंबर 834 अपीलांट की कब्जे काश्त की जमीन के चारों और खसरा नंबर 835 जो स्वयं अपीलांट व उसके परिवारजनों की शामलाती काश्त की भूमि है। खसरा नंबर 832 गै.मु. जोहड है। खसरा नंबर 859 अपीलांट व उसके परिवारजनों की शामलाती काश्त की जमीन है तथा खसरा नंबर 869/6 अपीलांट की पत्नी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज काश्त की जमीन है तथा खसरा नंबर 856 नाला है तथा अपीलांट उक्त खसरा नंबर 834 में कुए का निर्माण कर रखा है जिस पर विद्युत विभाग से कृषि कनेक्शन भी करीब 30 वर्षों से ले रखा है । अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर आये तथ्यों की विधिनुकूल व्याख्या नहीं कर सरसरी तौर पर निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। अपीलांट द्वारा कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है। अपीलांट अपने पूर्वजों के समय से उक्त खसरा नंबर 834 पर काबिज काश्त चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी के कोई बयान नहीं लिये और ना ही अपीलांट को कोई सबूत पेश करने का अवसर दिया गया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर योग्य अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील खेतड़ी का निर्णय दिनांक 6.8.2020 को निरस्त किये जाने का आदेश दिया जावे तथा भूमि खसरा नंबर 834 वाके ग्राम देवता तादादी 1.29 हैक्टर को अपीलांट के हक में नियमन करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जावे।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये बताया कि– भूमि खसरा नंबर 834 पर अपीलांट के दादा के जीवनकाल से सम्वत 1999 से कब्जा चला आ रहा है। उक्त जमीन

18

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झनू

बाबत अपीलांट के दादा जैसा वल्द खेता कौम गुर्जर निवासी देवता के नाम से तत्कालीन ठिकाना बिसाऊ द्वारा इस भूमि बाबत अपीलांट के दादा से दिनांक 13.10.1942 को सम्वत 1999 से 2008 का एकमुश्त लगान लेकर ठिकाना जयपुर स्टेट राजसवाई महकमा बंदोबस्त में जमा करवाकर अपीलांट के दादा को खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया। तब से लेकर आज अपीलांट व उसके दादा पिता द्वारा निरन्तर लगान देकर मौके पर काबिज काश्त चला आ रहा है। अपीलांट व उसके पूर्वजों का उक्त जमीन पर काफी लंबे समय से कब्जा चला आ रहा है। उक्त जमीन किसी न्यायालय के आदेश द्वारा चारागाह दर्ज नहीं हुई है तथा उक्त जमीन पूर्व में भी चारागाह दर्ज नहीं थी। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों तथा राजस्व रिकार्ड का अवलोकन न कर आलौच्य निर्णय पारित किया है, जो निरस्त होने योग्य है। नजरी नक्शा में दर्ज अनुसार खसरा नंबर 834 अपीलांट की कब्जे काश्त की जमीन के चारों और खसरा नंबर 835 जो स्वयं अपीलांट व उसके परिवारजनों की शामलाती काश्त की भूमि है। खसरा नंबर 832 गै.मु. जोहड है। खसरा नंबर 859 अपीलांट व उसके परिवारजनों की शामलाती काश्त की जमीन है तथा खसरा नंबर 869/6 अपीलांट की पत्नी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज काश्त की जमीन है तथा खसरा नंबर 856 नाला है तथा अपीलांट उक्त खसरा नंबर 834 में कुए का निर्माण कर रखा है जिस पर विद्युत विभाग से कृषि कनेक्शन भी करीब 30 वर्षों से ले रखा है । अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर आये तथ्यों की विधिनुकूल व्याख्या नहीं कर सरसरी तौर पर निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। अपीलांट द्वारा कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर योग्य अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील खेतड़ी का निर्णय दिनांक 6.8.2020 को निरस्त किये जाने का आदेश दिया जावे तथा भूमि खसरा नंबर 834 वाके ग्राम देवता तादादी 1.29 हैक्टर को अपीलांट के हक में नियमन करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जावे।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी ने अपीलांट द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किये जाने के कारण विधिक प्रक्रिया के तहत विधिसम्मत कार्यवाही की गई है। अतःअपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। मिसल मातहत को देखा गया। बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। विवादित भूमि राजकीय भूमि है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी के निर्णय दिनांक 06.08.2020

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झनू

की पालना में अपीलांट को` दिनांक 10.8.2020 को मौके से भौतिक रूप से बेदखल किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सरहीन होने के कारण खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी का निर्णय दिनांक 06.08.2020 मुकदमा नंबर 14/20 उनवानी सरकार बनाम धर्मपाल निरस्त किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो एवं बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

अति. जिला कलेक्टर एवं अ. जिला मजिस्ट्रेट झुंझुनूं

(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 31.08.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. जिला कलेक्टर

(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
झुंझुनू